स्पीड पोस्ट द्वारा

DGT-TCD031(12)/5/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 02.12.2020

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
श्री मोतीलाल रिछारिया निजी आईटीआई,
विलेज- कुआ गाँव, पोस्ट- कुरेंचा, तहसील- मौरानीपुर,
जिला- झांसी, उत्तर प्रदेश - 284204

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

इस कार्यालय को दिनांक 10.11.2020 को ईमेल द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई है । शिकायत के अनुसार आपके संस्थान में निम्नलिखित गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं हैं (ईमेल प्रति संलग्न) :-

1. **भवन पूरी तरह से मानकों के अनुकूल नहीं है ।**
2. **क्लासरूम टिन शेड के अंदर बना रखे हैं जबकि नियम है कि क्लास रूम के ऊपर RCC छत होनी चाहिए ।**
3. **फर्जी तरीके से बिना कोई एप्लीकेशन दिए अपनी सीटों में वृद्धि करके छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति भी दिलवा दी गयी है ।**

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के **15 दिन के भीतर (17.12.2020 तक)** प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➢ आपको कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित करना है ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

02/12/2020
(रवि चिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश ।
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU09900625) ।
3. एडवोकेट श्री सुरजन सिंह, जैजी कंपाउंड झांसी, उत्तर प्रदेश, मोबाइल नंबर : 9942465890 ।

(आर. मुरुगराजन)
उप-निदेशक, प्रशिक्षण